दिनांक 22 मई 2026 को मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में प्रातः 11.00 बजे विश्वविद्यालय सभागार में सम्पन्न हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून की परीक्षा समिति की तृतीय बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में निम्नांकित द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1.	प्रो0 (डा0), भानू दुग्गल कुलपति हे0न0ब0उ0 चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय	अध्यक्ष
2.	डा0 महेन्द्र कुमार पंत, अधिष्ठाता	सदस्य
3.	डा0 जी0एस0 तितियाल, प्राचार्य राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी	सदस्य
4.	डा0 सी0एम0एस0 रावत, प्राचार्य राजकीय मेडिकल कालेज हरिद्वार	सदस्य
5.	डा0 सन्दीप भट्टाचार्य, के0जी0एम0यू0 लखनऊ	सदस्य
6.	डा0 आशुतोष तिवारी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर	सदस्य
7.	डा0 पी0 नारायण प्रसाद, प्राचार्य सीमा डेंटल कालेज ऋषिकेश	सदस्य
8.	डा0 सुचिता पंत, सह प्रोफेसर राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी	सदस्य
9.	डा0 ममता कपरूवाण, प्राचार्य राजकीय नर्सिंग कालेज चमोली	सदस्य
10.	डा0 अर्चना मसीह, प्राचार्या दून इं0 आफ मेडिकल सांइसेज देहरादून	सदस्य
11.	डा0 दीपांजीत कौर, प्राचार्या उत्तरांचल (पी0जी0) कालेज आफ बायोमेडिकल सांइसेज एण्ड हास्पीटल देहरादून	सदस्य
12.	डा0 आशीष उनियाल, कुलसचिव हे0न0ब0 उ0 चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय	सदस्य
13.	श्री भुवन चन्द्र गुसाईं, सहायक लेखाधिकारी, प्रतिनिधि वित्त नियंत्रक	सदस्य
14.	प्रो0 विजय जुयाल, परीक्षा नियत्रक हे0न0ब0 उ0 चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय	सदस्य सचिव

सर्वप्रथम उपस्थित सदस्यों के परिचय के साथ परीक्षा नियत्रंक/सदस्य सचिव, परीक्षा समिति द्वारा अध्यक्ष/मा0 कुलपति तथा सभी उपस्थित सदस्यगणों को स्वागत किया गया। तदोपरान्त कार्यसूची में सम्मिलित प्रत्येक प्रस्ताव को परीक्षा समिति के सम्मुख बिन्दुवार प्रस्तुत किया गया। कुलपति/मा0 अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव संख्या–3.11 पर सर्वप्रथम विचार करने हेतु समिति सदस्यों को निर्देशित किया गया तदनुसार कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

प्रस्ताव संख्या 3.11 **एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में Thesis/Desertation के जमा कराये जाने एवं मूल्यांकन के सम्बन्ध में चर्चा।**

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया कि एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में छात्रों को Thesis/Desertation जमा करना अनिवार्य है साथ ही Thesis/Desertation का मूल्यांकन भी अनिवार्य है। सम्प्रति Thesis/Desertation का मूल्यांकन कालेज स्तर पर बाह्य विषय विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। विस्तृत विरोपरान्त निर्णय लिया गया कि Thesis/Desertation का मूल्यांकन राष्ट्रीय आर्युविज्ञान आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप किया जायेगा साथ ही निम्नांकित संस्तुतियां की गयीं।

1. एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में छात्रों को प्रथम वर्ष में ही Thesis/Desertation का Topic, Guide & Co-guide का अनुमोदन कराना होगा समय सारणी अधिष्ठाता के माध्यम से निर्धारित की जायेगी, यह व्यवस्था शैक्षिक सत्र 2025–26 से लागू होगी।

Scanned with OKEN Scanner

2. अंतिम वर्ष की परीक्षा के 06 माह पूर्व Thesis/Desertation कालेज स्तर से मूल्यांकन हेतु विश्वविद्यालय को प्रेषित की जायेगी जिसका मूल्यांकन PGMER-2023 के अनुरूप किया जायेगा। यह व्यवस्था शैक्षिक सत्र 2024–25 के अध्ययनरत छात्रों से लागू की जायेगी, वाह्य परीक्षकों की अनुमोदित सूची अधिष्ठाता द्वारा मूल्यांकन हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।
3. राष्ट्रीय आर्युविज्ञान आयोग द्वारा प्रख्यापित नियमावली के अनुसार अध्ययन के सभी वर्षों में submative assessment कराया जाना अनिवार्य है। प्राचार्य राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके कालेज में वार्षिक assessment कराया जा रहा है तथा तीन वर्षों के औसत assessment के आधार पर अंतिम वर्ष में आयोजित होने वाली परीक्षा हेतु अर्हता निर्धारित होती है। समिति द्वारा इस व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए समस्त पी0जी0 कालेज की Broad Specilaity में इसी प्रकार की व्यवस्था अनिवार्य करने सहमति व्यक्त की गयी, अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व submative assessment के आधार पर अर्ह परीक्षार्थियों की सूची विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
4. Thesis/Desertation का मूल्यांकन शुल्क एवं मूल्यांकन हेतु पारिश्रमिक की दरों के निर्धारण हेतु प्रस्ताव आगामी शैक्षिक परिषद की बैठक में प्रस्तुत करने पर सहमति प्रदान की गयी।
5. विश्वविद्यालय परिनियम की व्यवस्था के अनुरूप अध्ययन बोर्ड द्वारा परीक्षकों की सूची तैयार कर परीक्षा समिति के सम्मुख अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी।
6. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों के सम्बन्धित विषय के वरिष्ठतम प्रोफेसर/फैकल्टी सदस्य लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों के मोडरेटर होंगे जिसकी सूची अधिष्ठाता द्वारा तैयार की जायेगी।

प्रस्ताव संख्या 3.01 **परीक्षा समिति की प्रथम बैठक दिनांक 20 फरवरी 2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि**

सदस्य सचिव द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 20 फरवरी 2025 का कार्यवृत्त सदस्यों के मध्य परिचालित किया गया, समिति के सदस्यों से कोई भी संशोधन/असहमति प्राप्त नहीं हुई। उक्तानुसार परीक्षा समिति की प्रथम बैठक के कार्यवृत्त की समिति द्वारा पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या 3.02 **परीक्षा समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 20 फरवरी 2025 में लिए गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही**

सदस्य सचिव द्वारा परीक्षा समिति को समिति की प्रथम बैठक में लिए गये निर्णयों पर हुई कार्यवाही से अवगत कराया गया, तदनुसार कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया।

प्रस्ताव संख्या 3.03 **परीक्षा समिति की द्वितीय बैठक के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित करायी गयी विभिन्न परीक्षाओं एवं उनके परीक्षा परिणामों की सूचना**

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि परीक्षा समिति की द्वितीय बैठक के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों की वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षाऐं आयोजित करायी गयीं एवं परीक्षाफल भी सफलतापूर्व घोषित किये गये। सम्बन्धित परीक्षाओं एवं उनके घोषित किये परीक्षाफलों की सूची समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत गयी, परीक्षा समिति सूची से को अवगत हुई। <u>(संलग्नक–01)</u>

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव संख्या 3.04 **विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा/अनुमोदन**

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की द्वितीय बैठक में मद संख्या   द्वारा अनुमोदित पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था के क्रियान्वयन में व्यावहारिक कठिनाई हो रही है। विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निम्नवत् निर्णय लिए गये।

1. केवल सैद्धान्तिक परीक्षा के अंकों के परीक्षाफल के स्थान पर आंतरिक अंकों एवं प्रयोगात्मक परीक्षा के अंकों सहित पूर्ण परीक्षाफल घोषित किया जायेगा। सैद्धान्तिक परीक्षा के प्राप्तांकों से संतुष्ट न होने पर पुनर्मूल्यांकन के आवेदन हेतु 10 दिन का समय दिया जायेगा, शेष प्रक्रिया यथावत रहेगी।
2. पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था ऐसे पाठ्यक्रमों में लागू नहीं होगी जहां सम्बन्धित नियामक संस्था द्वारा निर्गत परीक्षा स्कीम में अनुमति न हो।

प्रस्ताव संख्या 3.05 **विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं में विशेष परिस्थितियों में परीक्षार्थियों द्वारा आवेदन किये जाने पर परीक्षा केन्द्र परिवर्तित किये जाने पर चर्चा/अनुमोदन**

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि कतिपय परीक्षाओं में चिकित्सकीय आधार पर अथवा अन्य विशिष्ट कारण से परीक्षा केन्द्र परिवर्तित किये जाने हेतु परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र संस्थाध्यक्षों द्वारा अग्रसरित किये जाते हैं, पूर्व में मा0 कुलपति जी के अनुमोदन के उपरान्त विशेष परिस्थिति में चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर केन्द्र परिवर्तन की अनुमति प्रदान की जाती थी। समिति द्वारा सर्वसम्मति से मा0 कुलपति जी के अनुमोदन के पर विशेष परिस्थिति में चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अथवा अन्य विशिष्ट कारण से केन्द्र परिवर्तन की अनुमति प्रदान दिये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

प्रस्ताव संख्या 3.06 **छात्र/छात्राओं का पंजीकरण निर्धारित समयावधि में पूर्ण न करने एवं परीक्षा आवेदन पत्र निर्धारित अवधि में पूर्ण न करने पर विलम्ब शुल्क के सम्बन्ध में चर्चा एवं निर्णय**

समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययरत छात्र/छात्राओं के पंजीकरण हेतु परीक्षा आवेदन भरे जाने हेतु समयावधि निर्धारित की जाती है परन्तु अनेकों संस्थानो से इस प्रक्रिया को समयानुसार पूर्ण नही किया जाता है तथा उसके पश्चात् परीक्षा आवेदन पत्र भरे जाने हेतु अनुरोध किये जाते हैं जिससे परीक्षा सम्बन्धी कार्यवाही एवं समय–सारणी प्रभावित होती है। विलम्ब शुल्क लगाये जाने पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी, धनराशि निर्धारण किये जाने हेतु प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव संख्या 3.07 **बी0एस0सी0–नर्सिंग पाठ्यक्रम की सेमेस्टर परीक्षाओं हेतु निर्धारित परीक्षा विनियमों के सम्बन्ध में चर्चा एवं संशोधन को अंगीकार करने पर निर्णय**

भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या 02/2026 दिनांक 09 जनवरी 2026 द्वारा बी0एस0सी0–नर्सिंग की सेमेस्टर परीक्षाओं में पूर्व के प्रतिबन्धों के स्थान पर व्यवस्था दी गयी है कि बी0एस0सी0–नर्सिंग आठवें सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पूर्व की समस्त परीक्षाऐं उत्तीर्ण की होनी अनिवार्य होंगी तथा इस संशोधन के उपरान्त सेमेस्टर के मध्य में अथवा आगामी सेमेस्टर परीक्षाओं के साथ बैक पेपर कराये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा प्रख्यापित सेमेस्टर परीक्षाऐं एवं बैक पेपर परीक्षाऐं आयोजित कराये जाने के विनियमों को यथावत् अंगीकार किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त भारतीय आयुर्विज्ञान आयोग, भारतीय दंत चिकित्सा आयोग द्वारा वर्तमान तक प्रख्यापित नियमों/विनियमों को भी अंगीकार करने पर सहमति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव संख्या 3.08 **विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की दरों एवं प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु मानदेय की दरों पर चर्चा**

विश्वविद्यालय की वित्त समिति में लिए गये निर्णय एवं कार्य परिषद के अनुमोदनोपरान्त विश्वविद्यालय की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु अनुमन्य मानदेय की दरों एवं विभिन्न कार्यों हेतु अनुमन्य मानदेय की दरें परीक्षा समिति के सम्मुख प्रस्तुत की गयीं। सम्यक विचारोपरान्त इस प्रस्ताव को वित्त समिति के सम्मुख प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3.09 **विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं में श्रुतिलेखक (Scribe) उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में निर्णय**

विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की अक्षमता एवं दुर्घटना आदि कारणों से परीक्षार्थियों द्वारा स्वयं उत्तर पुस्तिका लिखे जाने में असमर्थ होने पर श्रुतिलेखक (Scribe) उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मा0 कुलपति द्वारा अधिष्ठाता की अध्यक्षता में 03 सदस्यीय समिति का गठन कर इस विषय पर संस्तुति प्राप्त की जायेगी। समिति प्रकरणों के निस्तारण हेतु प्रक्रिया प्रस्तावित करेगी, जिस पर परीक्षा नियंत्रक की संस्तुति के पश्चात् अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रभावी करने हेतु मा0 कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या 3.10 **विश्वविद्यालय द्वारा नर्सिंग संवर्ग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के उपरांत सत्र प्रारम्भ होने की तिथि तथा कालान्तर में परीक्षा कराये जाने की तिथि के सम्बन्ध में चर्चा।**

समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा नर्सिंग संवर्ग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के उपरांत सत्र प्रारम्भ किये जाने हेतु भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा तिथि निर्धारित की जाती है एंव प्रवेश की तिथि ही निर्धारित की जाती है। विगत वर्षों में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर तक बढ़ायी गयी जिससे सत्र की परीक्षाओं में निरन्तर विलम्ब हो रहा है। परा–चिकित्सा संवर्ग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न प्राठ्यक्रमों हेतु सांविधिक क्रियाशील न होने के कारण इस प्रकार की तिथि निर्धारित नहीं होती है। परीक्षा समिति द्वारा विस्तृत विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि भारतीय उपचर्या परिषद की विज्ञप्ति संख्या 6/2026 द्वारा सत्र 2026–27 हेतु प्रवेश की

Scanned with OKEN Scanner

अंतिम तिथि के 30 सितम्बर 2026 के आधार पर ही विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों में नर्सिंग एवं परा–चिकित्सा संवर्ग के पाठ्यक्रमों की परीक्षाऐं सम्पादित करायी जायेंगी।

प्रस्ताव संख्या 3.12 **विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का केन्द्रीयकृत मूल्यांकन करने के सम्बन्ध में चर्चा।**

वर्तमान में विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का Digital मूल्यांकन कराया जाता है, जिससे परीक्षा परिणाम तैयार करने तथा अभिलेखों के रख–रखाव में सुविधा होती है, तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर उत्तर पुस्तिकाओं का भौतिक मूल्यांकन भी कराया जाता है। केन्द्रीयकृत मूल्यांकन हेतु विश्वविद्यालय के पास संशाधनों की उपलब्धता न होने एवं चिकित्सा संकाय में परीक्षकों की सीमित उपलब्धता के कारण सर्वसम्मति से वर्तमान व्ययस्था को आगामी परीक्षा समिति तक यथावत रखने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

कार्यसूची में सूचीबद्ध प्रस्तावों पर उक्तानुसार विचार विमर्श के उपरांत सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थिति समस्त सदस्यगों के प्रति आभार व्यक्त किया गया एवं धन्यवाद ज्ञापित किया गया, तदनुसार बैठक सम्पन्न हुई।

परीक्षा नियंत्रक/सदस्य सचिव परीक्षा समिति
हे0न0ब0उ0 चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय
देहरादून।

कुलपति/अध्यक्ष परीक्षा समिति
हे0न0ब0उ0 चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय
देहरादून।

Scanned with OKEN Scanner